



श्री कनक स्नायप वर... सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय
 अपि नगर (उत्तर)
 जिला गोरखपुर काठल नं. जा 26610
 स्वश्री निपमावली नाम संलग्न है।



[Handwritten Signature]

सहायक रजिस्ट्रार

कर्म मोबाइलीज तथा बिटल

व० प्र० गोरखपुर

07/2/2001

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a non-Latin script.



Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a list or a set of instructions.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding note.

संशोधित नियमावलीसरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय

1. संस्था का नाम : सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय
2. संस्था का पूरा पता : सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय,
आर्य नगर उत्तरी,
गोरखपुर (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : क. सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय,
आर्यनगर (उत्तरी) गोरखपुर की स्थापना करना
एवं उसे संचालित करना।
ख. जाति, धर्म, पंथ के भेदभाव से रहित मानवता
की सेवा करना।
ग. क्षेत्र के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के
लिए विशेषतया महिलाओं के लिए शिक्षण
संस्थाओं, छात्रावासों, पुस्तकालयों, साक्षरता
केंद्रों, बालवाड़ी व बाल संस्कार केंद्रों को
संचालित करना।
घ. निःशुल्क चिकित्सा शिविरों, टीका केंद्रों,
चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना, परिवार नियोजन
एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में जनता को जागृत
करना।
ङ. महिलाओं के स्वरोजगार से सम्बन्धित
कार्यक्रमों को संचालित करना।
च. श्वेत क्रांति योजना के अन्तर्गत गौ-शालाओं
का संचालन।



सहायक रजिस्ट्रार
कॉर्स सोसाइटीज तथा बिट
नं० प्र० गोरखपुर
०२/२/२००१ C:bye-law "1"

शिवजी सिंह
Ramesh Prasad

Ramesh Prasad

- छ. आकाश, बाढ़, भूकम्प एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटना से उत्पन्न संकट के समय प्रभावित जनता की सहायता करना।
- ज. महिलाओं के स्वास्थ्य के विकास के लिए विभिन्न भारतीय खेलों, योग, आसन, जोडो, कराटे का प्रशिक्षण।
- झ. सक्षम वृद्धाओं को क्षमता और अनुभव का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करना एवं वृद्धाश्रम चलाना।

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

संस्था की साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति निर्धारित सदस्य शुल्क निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करने तथा साधारण सभा द्वारा सदस्य घोषित करने के उपरान्त ही सदस्य कहे जायेंगे।



संस्था की स्थापना के समय स्मृति-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संस्था के संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे। ऐसे सभी सदस्य अपने जीवन पर्यन्त संस्था के आजीवन सदस्य रहेंगे। आजीवन सदस्यों का सदस्यता शुल्क रूपया 2000/- (दो हजार रुपये) रहेगा।

- ख. साधारण सदस्य :- जो सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को रूपया 1000/- (एक हजार रुपये) देंगे वे साधारण सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा शुल्क की प्राप्ति स्वीकार करने तथा साधारण सदस्य घोषित करने के उपरान्त साधारण सदस्य कहे जायेंगे।

- ग. विशिष्ट सदस्य :- साधारण सभा द्वारा अधिकतम पाँच वर्ष के लिए मनोनीत सदस्य संस्था के विशिष्ट सदस्य माने जायेंगे।

Ramadevi Singh

Dr. Anand Singh

Instrument

शिवजी सिंह

सहायक रजिस्ट्रार

गुलजारी लाल सिंह

C:\bye-law "2"

सर्व सोसाइटीज तथा चिट्ठे
ब. प्र. गोरखपुर
01/2/2001

6. (अ) अनर्हताएं

कोई व्यक्ति संस्था के पदाधिकारी / सदस्य पद पर चुने जाने अथवा बने रहने के अनर्ह हो जायेगा यदि :-

1. वह पागल या दिवालिया हो जाये।
2. वह दुराचरण के कारण दंडित हो जाये।
3. वह किसी संस्था के पंजीकरण प्रबन्ध अथवा क्रिया कलाप में किसी अभियोग के फलस्वरूप दंडित हुआ हो।
4. उसने संस्था की ख्याति अथवा उसके हितों के विपरीत कार्य किया हो।
अथवा ऐसे किसी कार्य में सहयोग किया हो।
(इसके अन्तर्गत समाचार पत्र अथवा आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन पर वक्तव्य देना, पत्रक छपवाकर बँटवाना आदि भी सम्मिलित है।)
5. वह अथवा उसका नातेदार संस्था में अथवा संस्था के लिए किसी कार्य, किसी माल की आपूर्ति हेतु ठेका अथवा संस्था के लिए किसी कार्य की पूर्ति के लिए पारिश्रमिक स्वीकार करता है, किन्तु किसी अध्यापक द्वारा अध्यापक के रूप में अथवा संस्था द्वारा संचालित परीक्षाओं में कार्य करने अथवा छात्रावास अधीक्षक अथवा नियंता अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई के अधीक्षक के रूप में कार्य करने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों के पारिश्रमिक की राशि स्वीकार करना धारा 6अ(5) के अन्तर्गत अनर्हता की श्रेणी में नहीं आता है।



6. (ब) सदस्यता की समाप्ति

निम्नांकित में से एक या अधिक कारणों से सदस्यता की समाप्ति समझी जायेगी।

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र स्वीकार होने पर।
3. निरन्तर तीन बैठकों में बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर।
4. सदस्यता शुल्क न देने पर।

C:bye-law "3"

Ram Lal Singh
 3/2/2001
 शिवजी सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
 जूनियर सोसाइटीज तथा विद्वत्
 संघ, गोरखपुर
 07/2/2001

शिवजी सिंह

7. संस्था के अंग : संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था के निम्नांकित दो अंग होंगे।

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी सभा।

8. साधारण सभा

क. गठन :- नियमावली के धारा 5 में उल्लिखित सभी वर्ग के सदस्य इसके सदस्य माने जायेंगे।

ख. बैठकें :- साधारण व विशेष बैठकें होंगी। वर्ष में साधारण बैठक कम से कम एक बार अवश्य बुलायी जायेगी।

ग. सूचना अवधि :- बैठक की सूचना दूरभाष, हाथ से या पोस्टिंग सर्टिफिकेट से दी जायेगी।

घ. गणपूर्ति :- कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 गणपूर्ति होगी, किन्तु स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर साधारण सभा के निर्णय के अनुसार बुलाया जायेगा। जिसमें संस्था का प्रगति विवरण मंत्री / प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रगति विवरण में आय-व्यय का विवरण भी सम्मिलित होगा।

च. साधारण सभा के कर्तव्य :-

1. वार्षिक विवरण एवं आय-व्यय स्वीकृत करना।
2. नियमावली में नियमानुसार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संशोधन करना तथा कुलपति के अनुमोदन हेतु भेजना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
4. अन्य आवश्यक कार्य करना।



Ramdas Singh
 M. A. Singh
 शिक्षण अधिकारी
 श्रीवती सिंह

(Signature)

गुलजारी लाल सिंह

C:bye-law "4"

सहायक रजिस्ट्रार
 संस्कृत सोसाइटीज तथा चिट्ठे
 संस्कृत विभाग, गोरखपुर
 07/2/2001

9.1 प्रबन्धकारिणी समिति का गठन

नियमावली की धारा- 5क, ख, ग के सभी वैध सदस्य साधारण सभा के सदस्य कहलायेंगे जो बहुमत से निम्नांकित पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव करेंगे।

1. संरक्षक
2. अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष(तीन)
4. मंत्री/प्रबन्धक
5. उपमंत्री
6. कोषाध्यक्ष
7. सदस्य (सात)

इस प्रकार गठित प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। यही प्रबन्धकारिणी संस्था द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं, तथा महिला महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति होगी, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा - 13-05 के अनुसार प्राचार्या, शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी पदेन सदस्य होंगे, किन्तु पदेन सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी/सदस्य के चुनाव में खड़े होने तथा मत देने के अधिकारी नहीं होंगे।



9.2 प्रबन्धकारिणी समिति में यह व्यवस्था होगी कि -

- क. महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धकारिणी समिति का पदेन सदस्य होगा।
- ख. प्रबन्धकारिणी समिति के 25 प्रतिशत सदस्य अध्यापक होंगे, जिसमें प्राचार्य भी हैं।
- ग. खण्ड ख में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर अध्यापक चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए पदेन सदस्य होंगे।
- घ. प्रबन्धकारिणी समिति का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

Ramdev Prasad

शिवजी सिंह

सहायक रजिस्ट्रार

शिवजी सिंह

शिवजी सिंह

शिवजी सिंह

ड. नियमावली की धारा 6अ (5) के उपबंधों के अधीन प्रबन्धकारिणी समिति के कोई दो सदस्य धारा-20 के स्पष्टीकरण के यथा अन्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे।

च. उक्त नियमावली में कुलपति के पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

छ. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप में चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धकारिणी समिति वैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

ज. महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक, निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय और उसकी समिति की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल अभिलेखों को रखने के लिए तैयार है।

झ. परिनियम 13-06 में निर्दिष्ट विन्यासित निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।



9.3 वित्त संपरीक्षा तथा लेखा

: 1. (क) महाविद्यालय के प्रबन्धकारिणी समिति की सहायता के लिए एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का प्रबन्धक/मंत्री अध्यक्ष होगा।

2. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य।

Ramdeo Prasad
 [Signature]
 निदेशक, उच्च शिक्षा
 श्रीवती सिंह

[Signature]
 सहायक रजिस्ट्रार

[Signature]
 कुलपति, उच्च शिक्षा

C:bye-law "6"

संस. सोमाइटीज तथा चिट्ठ
 07/11/201

4. प्रबन्धकारिणी समिति की ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन)

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का सचिव होगा और अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

2. वित्त समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र निधि को छोड़कर) तैयार करेगी जो प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष उनके विचार तथा अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

3. ऐसा आय व्यय जो महाविद्यालय के बजट में पहले से ही सम्मिलित न हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायेगा।

4. बजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियंत्रण किन्हीं भी निर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वित्त समिति द्वारा दिये जायें, प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

5. सभी छात्र निधि प्राचार्य द्वारा विभिन्न समितियों की जैसे कि खेलकूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति आदि जिसमें महाविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होगी।

6. छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा जो इसके सदस्यों में से न होगा, की जायेगी। संपरीक्षा फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रभार होगी। संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष रखा जायेगा।

7. छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तर्गत नहीं की जायेगी और इन निधियों में से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया जायेगा।



Ramesh Prasad
 सहायक रजिस्ट्रार
 शिवजी सिंह

C:bye-law "7"

सहायक रजिस्ट्रार

कन्या सोसाइटीज तथा चिट्ठे

प्लॉट नं० प्र० गोरखपुर

07/2/2001

शुभकारिणी 12/5/01

- 9.4 बैठकें : साधारण व विशेष दो बैठकें होगी। एक वर्ष में साधारण बैठक कम से कम चार बार बुलायी जायेगी।
- 9.5 सूचना अवधि : साधारण बैठक के लिए दस दिन तथा विशेष बैठक के लिए तीन दिन पूर्व दूरभाष से, हाथ से या पोस्टिंग सर्टिफिकेट से सूचना भेजना आवश्यक है।
- 9.6 गणपूर्ति : कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 गणपूर्ति होगी किन्तु स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 9.7 रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के किसी पदाधिकारी/सदस्य का पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति नियमानुसार प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की जायेगी जो शेष अवधि के लिए होगी, उसका अनुमोदन कुलपति से लेना अनिवार्य होगा।
- 9.8 प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य : 1. संस्था और संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं पर मंत्री/प्रबन्धक के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण रखना।
2. सम्पूर्ण आय-व्यय का हिसाब रखना।
3. संस्था और संचालित संस्थाओं के संचालन हेतु उपसमितियों का गठन करना और उपनियम बनाना।
4. गत वर्ष के वास्तविक और वर्तमान वर्ष के अनुमानित आय-व्यय को साधारण सभा से स्वीकृत कराना।
5. मंत्री और किसी अन्य पदाधिकारी को किसी कार्य हेतु अधिकृत करना।
6. संस्था और संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं की ओर से और उसके विरुद्ध न्यायालयों में प्रस्तुत वाद में प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री या अन्य पदाधिकारियों को अधिकृत करना।



Ramesh Prasad
 [Signature]
 [Signature]
 शिवजी सिंह

C:bye-law "8"

सहायक रजिस्ट्रार
 कर्म सोसाइटीज तथा चिट्ठे
 नं० प्र० गोरखपुर
 07/02/2001

[Signature]

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य :

- (क) संरक्षक : 1. संस्था द्वारा संचालित सभी विद्यालयों/संस्थाओं का नियंत्रण प्रबन्धकारिणी समिति के मंत्री/प्रबन्धक के माध्यम से करना।
2. अन्य अधिकार व कर्तव्य जो संस्था द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा दिया जाय।
- (ख) अध्यक्ष : 1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
- (ग) उपाध्यक्ष : 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना।
- (घ) मंत्री/प्रबन्धक : 1. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार मंत्री/प्रबन्धक के अधीन होंगे जो संस्था और उसके द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।



2. बैठकों को बुलाना और कार्यवाही लिखना।
3. संस्था और संचालित संस्थाओं की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना।
4. वित्त समिति द्वारा तैयार किये गये आय-व्यय विवरण को साधारण सभा से स्वीकृत कराना।
5. सभी प्रकार के दान, सहायता, चन्दा, ऋण, राजकीय अनुदान, सदस्यता शुल्क, क्षतिपूर्ति अनुदान प्राप्त करना।
6. संस्था और संचालित संस्थाओं के हित की दृष्टि से अन्य आवश्यक कार्य करना।

Ramesh Singh
 M. S. Singh
 Anil Kumar
 शिवजी सिंह

सहायक रजिस्ट्रार

न्याय मोमाइटीज तथा चिट्ठे
 पिन 221001 गोरखपुर
 02/2/2021

गुदनजारी लाल टिक्कियाल

(ड.) उपमंत्री

1. मंत्री द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

2. मंत्री की अनुपस्थिति में साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मंत्री के सभी कार्य करना।

(च) कोषाध्यक्ष

1. संस्था और संचालित संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मंत्री/प्रबन्धक की सहायता करना।

2. रोकड़ पंजी पर मंत्री/प्रबन्धक के साथ हस्ताक्षर करना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया

सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्राविधान के अनुसार संस्था के नियमों और विनियमों में सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से साधारण सभा की बैठक में 2/3 सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन हो सकेगा, परन्तु संशोधन पर कुलपति की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

12. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था)



संस्था द्वारा शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं का कोष प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी बैंक/पोस्ट आफिस में खोला जायेगा, जिसका संचालन अध्यक्ष, मंत्री/प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष के द्वारा होगा। किन्तु इनमें से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से धन निकाला जा सकेगा।

संस्था द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय में गोरखपुर विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 13-35 से 13-41 के प्राविधान लागू होंगे।

कोष से सम्बन्धित सभी अभिलेख मंत्री/प्रबन्धक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे। रोकड़ पंजी पर माह के अन्त में मंत्री/प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

Ramesh Prasad
 Anand Prasad
 Anand Prasad
 Anand Prasad

Anand Prasad
 सहायक रजिस्ट्रार

गुरुजी साहू निदेशा

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था और संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं का लेखा परीक्षण प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नामित आडिटर द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में होगा और आडिट रिपोर्ट विचारार्थ प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष रखा जायेगा।

14. संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था और संस्था द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं द्वारा या उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री/ प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नामित पदाधिकारी का होगा।

15. संस्था का अभिलेख



संस्था के अभिलेख सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक पंजी, रोकड़ पंजी आदि मंत्री/ प्रबन्धक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति

के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी। यदि किसी कारण संस्था को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ी तो उसके नाम से जमा सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली किसी भी संस्था को प्रदान कर दी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

आर्यनगर फार्म तथा सोसाइटी
गोरखपुर

07/2/2001

गुरुजी लाल रिक्केपाठ

मंत्री/प्रबन्धक

सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय
आर्यनगर (उत्तरी) गोरखपुर।

Ramide Singh
M. Singh
G. Singh
वि.जी. सिंह

संचालक कता
महान कता
07/2/2001

(अधिक) प्रमाणित करने के लिए...

यह प्रमाणित करने के लिए...
प्रमाणित करने के लिए...
के लिए प्रमाणित करने के लिए...

प्रमाणित करने के लिए...

प्रमाणित करने के लिए...



प्रमाणित करने के लिए...

प्रमाणित करने के लिए...

प्रमाणित करने के लिए...

प्रमाणित करने के लिए...

पत्रावली संख्या...
आलेख का क्र. ...
स्मृति पत्र ...
नियमानुसारी ...
आज दिनांक... 6/2/2021...
को सन् 1860 के अधिनियम के
अन्तर्गत निबन्धन किया गया।
6.2.2021
सहायक निबन्धन समितियों
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

निबन्धन पत्र

प्रमाणित करने के लिए...

100/2/21

100/2/21

उत्तर प्रदेश सहकारी निगम समिति